FAX

राजस्थान सरकार

स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांकः प.2(4)शि–5/2007 पार्ट–III

जयपुर, दिनांकः 05.08.2011

1– आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2– निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3– निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

विषयः– राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत राजकीय सेवा में समायोजित कार्मिकों हेतु नवीन मद में वित्तीय प्रावधान बाबत।

संदर्भः–(1) आयुक्त, माशि का पत्रांक शिविरा/माध्य/बजट/बी–3/25233(1)/2011–12/11 दि0 24.7.11

(2) निदेशक, प्राशि का पत्रांक शिविरा/प्रारं/बजट/बी–1/विविध/ 2011–12 दि0 25.7.11

(3) निदेशक, संस्कृत का पत्रांक निसंशि/लेखा–I/बजट/2011 1518 दि0 28.7.11

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत गैर सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत जिन कार्मिकों को राजकीय सेवा में रिक्त पदों के विरूद्व माह जुलाई 2011 से समायोजित किया गया है उनके वेतन भत्तो का भुगतान वर्तमान मे जहां पर वे रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित/पदस्थापित किये गये है उन रिक्त पदों के विद्यमान बजट मद में उपलब्ध बजट से उनके वेतन भत्तों का भुगतान करने की व्यवस्था करें। इसके लिए पृथक से कोई बजट की आवश्यकता नहीं है। रिक्त पदो के लिए पूर्व मे ही चालू वित्तीय वर्ष के बजट मे प्रावधान किया हुआ है।

यह वित्त (व्यय–1) विभाग की सहमति संख्या 101102636 दिनांक 5.8.11 द्वारा अनुमोदित है।

निर्देशानुसार यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वेच्छया ग्रामीण सेवा नियम 2010 के तहत समायोजित कार्मिकों को वर्तमान में उनके द्वारा प्रस्तुत गत वेतन भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) के आधार पर जुलाई 2011 से नियमानुसार राज्य सेवा में उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से उनके द्वारा पूर्व में प्राप्त कर रहे वेतन भत्तों की दर से वेतन का भुगतान किया जावें।

किसी भी कार्मिक का एलपीसी के अनुसार देय वेतन का भुगतान, छठे पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में वेतन स्थिरीकरण नहीं होने के कारण वेतन नही रोका जावे।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :–
शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

वरिष्ठ लेखाधिकारी

कार्यालय आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25233(1)/2011-12/ 15

दिनांक :- 08/08/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय, बीकानेर।
2. समस्त उपनिदेशक (माध्यमिक), शिक्षा विभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय), को भेजकर निदेश दिये जाते हैं कि राज्य सरकार के उपर्युक्त पत्रानुसार कार्यवाही करने हेतु सभी अधिनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों को अपने स्तर पर सूचित करावें । साथ ही इन समायोजित हुए कार्मिकों के लिये 89-नवीन अंशदायी पेंशन योजना में राशि आवंटन हेतु बजट मदवार एवं विद्यालयवार प्रस्ताव दिनांक 12.08.2011 तक आवश्यक रूप से भिजवावें ।
3. उप निदेशक (माध्यमिक), कार्यालय हाजा
4. सहायक लेखाधिकारी, अनुदान अनुभाग ।
5. बजट अनुभाग के प्रभाग बी-1, बी-2, बी-3, बी-4, बी-5
6. रक्षित पत्रावली ।
7. ....

मुख्य लेखाधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर